

परामर्शिका

मूंगफली (ग्राउंडनट), मूंगफली (पीनट), प्रसंस्कृत मूंगफली उत्पादों के सभी निर्यातकों के लिए

विषय: भारते से सिंगापुर, रूस, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोपीय संघ के देशों को निर्यातित निर्यात खेप में मूंगफली (ग्राउंडनट), मूंगफली (पीनट), प्रसंस्कृत मूंगफली उत्पादों में एफ्लाटाक्सिन के उच्च स्तर के संबंध में।

महोदया/महोदय,

एपीडा द्वारा नियमित रूप से सिंगापुर, रूस, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोपीय संघ के देशों एवं अन्य देशों को निर्यात खेप में मूंगफली (ग्राउंडनट), मूंगफली (पीनट), प्रसंस्कृत मूंगफली उत्पादों में एफ्लाटाक्सिन के उच्च स्तर पर रैपिड अलर्ट तथा व्यापार शिकायतें प्राप्त की जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह डीजीएफटी अधिसूचना सं. 28 (RE-2012)/20092014, दिनांकित 3 जनवरी, 2013 और बाद में एपीडा द्वारा जारी व्यापार सूचना सं. APEDA I PPP/Q12021 दिनांकित 05/07/202 का उल्लंघन है।

निर्यातकों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित एपीडा एवं डीजीएफटी अधिसूचनाओं का पालन करें। किसी भी स्तर पर उपरोक्त/अधिसूचना के उल्लंघन होने पर आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मूंगफली (ग्राउंडनट)/ मूंगफली (पीनट) प्रसंस्करण इकाइयों के अनुमोदन हेतु टर्मिनेशन और सरकारी विनियमों के अनुसार उचित समझे जाने वाले अन्य अर्थदंड शामिल हैं।

वी.के. विद्यार्थी

(महाप्रबंधक)